# न्यायालय उपखंड अधिकारी बीदासर

पीठासीन अधिकारी श्योराम वर्मा आर .ए. एस.

न.मु. सन् 2020

48/21

उगमा देवी बनाम चन्दा देवी आदि

1. उगमा देवी पत्नी हरकाराम जाति जाट निवासी ढढेरू भामूवान तहसील बीदासर जिला चूरू राजस्थान

बनाम

1. चन्दा देवी पत्नी भगवानाराम जाति जाट निवासी हरिनगर तहसील बीदासर जिला चूरू राजस्थान
2. बालाराम पुत्र बुधाराम जाति जाट निवासी हरिनगर तहसील बीदासर जिला चूरू राजस्थान
3. शान्ति देवी पत्नी डालाराम जाति जाट निवासी हरिनगर तहसील बीदासर जिला चूरू राजस्थान
4. सोहनी देवी पत्नी तुलछाराम जाति जाट निवासी हरिनगर तहसील बीदासर जिला चूरू राजस्थान
5. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार बीदासर।

संयुक्त खातेदारी भूमि के विभाजन का वाद अंतर्गत राजस्थान काश्तकारी अधिनियम की धारा 53

उपस्थिति
ज्ञानाराम चौधरी एडवोकेट वास्ते वादी
पैरोकार राज

लगातार 2 पर.....

उपखण्ड अधिकारी
बीदासर

Scanned by CamScanner

# निर्णय

दिनांक 30/12-21

दावा के संक्षिप्त तथ्य इस प्रकार है कि वादी एवं प्रतिवादी संख्या 1 ता 4 के संयुक्त खातेदारी का खेत खसरा नंबर 1036 तादादी 3.8824 हैक्टर वाके रोही ग्राम हरिनगर तहसील बीदासर मे स्थित है। जिसमे वादी का 1/2 हिस्सा व प्रतिवादी 1 ता 4 प्रत्येक का 1/8 हिस्सा दर्ज है। वादी तथा प्रतिवादीगण ने काफी वर्ष पूर्व मौखिक समझौता कर सहमति से उपरोक्त खेत का बंटवारा किया था। जिसके मुताबिक दक्षिणी साईड की 1/2 हिस्सा भूमि वादी के हिस्सा पांति कब्जा काश्त मे चली आ रही है। जिसके चारो और तारबंदी की बाड बनाई हुई है। वादी की भूमि का आसा पासा निम्न प्रकार है–

| उतर | दक्षिण | पूर्व | पश्चिम |
|---|---|---|---|
| भूमि प्रतिवादी संख्या 1 से 4 | खसरा नं. 1030 | खसरा संख्या 1029 | खसरा संख्या 1035 |

वादी व प्रतिवादीगण अलग अलग परिवारो के लोग है। परन्तु खातेदारी संयुक्त होने से वादी को अपनी भूमि पर सरकारी योजनाओ का लाभ लेने मे परेशानी हो रही हैं। वादी ने प्रतिवादी संख्या 1 ता 4 सै काफी बार निवेदन किया कि वह वादगत खेत का बंटवारा कर खाता अलग बनवा लेवे। परन्तु प्रतिवादीगण पहले तो टालमटोल करते रहे तथा दिनांक 30.06.2020 को साफ इंकार हो गये। इसलिये वादी को आवश्यक हो गया कि वह न्यायालय मे वाद दायर कर वादगत खेत का बंटवारा करवाये। जिसके हेतु यह वाद दायर किया गया हैं। तथा खसरा संख्या 1036 के दक्षिणी तरफ की 1/2 हिस्सा भूमि को संपूर्ण रकबा से विभाजित कर वादी अकेली के नाम खाता अलग किया जावे की प्रार्थना की गई आदि आदि प्रस्तुत किया।

वाद दर्ज रजिस्टर कर प्रतिवादीगण को जरिये रजिस्टर्ड डाक से नोटिस तलब किया गया। प्रतिवादी संख्या 1 ता 4 बाद तामील हाजिर अदालत न आने पर उनके खिलाफ इकतरफा कार्यवाही की गई तथा पैरोकार राज तहसीलदार बीदासर ने अपने जबाब मे कोई राजहित नही होना जाहिर किया। बयान वादी संख्या 1 के दर्ज करवाये जिसमे भी वादी ने उपरोक्त खसरा मे दक्षिणी तरफ की 1/2 हिस्सा भूमि पर अपना कब्जा काश्त बताया। बहस वकील वादी सुनी गई। हमने पत्रावली का ध्यानपूर्वक अवलोकन किया। जिसके आधार पर वादी का वाद डिक्री किया जाना उचित है।

उपखण्ड अधिकारी
लगातार बीदासर

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी बीदासर जिला-चूरू सत्यमेव जयते

Scanned by CamScanner

## आदेश

ग्राम हरिनगर मे खसरा संख्या 1036 तादादी 3.8824 हैक्टर मे दक्षिणी तरफ की 1/2 हिस्सा भुमि का रकबा हैक्टेयर मे वर्तमान खाता से अलग कर वादीनी अकेली के नाम अलग खाता मे दर्ज की जावे। तथा शेष उतर साईड की 1/2 हिस्सा भूमि का रकबा हैक्टेयर मे प्रतिवादी संख्या 1 ता 4 के संयुक्त खातेदारी मे जारी रहे तदनुसार लगान का विभाजन किया जावे तथा अन्तिम डिक्री जारी होकर तहसीलदार बीदासर को लिखा जावे कि मुताबिक निर्णय राजस्व रिकार्ड नक्शा आदि मे अमल करवाये खर्चा पक्षकारान अपना अपना वहन करे। निर्णय आज दिनांक 30-12-21 को मेरे द्वारा लिखवाकर सरे इजलास सुनाया गया।

उपखण्ड अधिकारी
बीदासर

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी बीदासर जिला-टोंक सत्यमेव जयते

Scanned by CamScanner